(५७)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2018/2037 विरूद्ध आदेश दिनांक 6-2-18 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 213/अपील/2017-18.

महन्त योगेश्वरानन्द महाराज
गुरू महन्त स्व. राजवैध भगवतीनन्द
महाराज दुधाधारी
निवासी कांटाफोड मंदिर नवलखा इंदौर
हाल मुकाम गायत्री तपोवन, दत्त आश्रम
नागर घाट, ओंकारेश्वर जिला खरगोन .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा जिलाधीश
जिला कलेक्टर कार्यालय, मोतीबतबेला
इन्दौर .....अनावेदक

श्री ताराचंद साहू, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/11/18 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-2-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा कस्बा इंदौर स्थित सर्वे नम्बर 540/1646 रकबा 0.049 हेक्टेयर भूमि के संबंध में भूमिस्वामी राजवैध भगवतीनन्द गुरू कृष्णानन्दन द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित मृत्यु पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामांतरण किये जाने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

तहसीलदार, जूनी इंदौर क्षेत्र इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 267/अ-6/13-14 में दिनांक 28-5-16 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30-3-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष दिनांक 4-12-2017 को समय बाह्य द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6-2-18 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध रिकार्ड का सूक्ष्म अवलोकन किये बगैर आदेश पारित करने में भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त को समय-सीमा जैसे तकनीकी आधार पर अपील निरस्त नहीं कर, गुण-दोष पर अपील का निराकरण करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में उनके द्वारा विधिक त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपील समय बाधित होने के संबंध में बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है और न ही समय बाह्य होने के संबंध में समयावधि की कोई गणना का उल्लेख अपने आदेश में किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष विलम्ब के संबंध में स्पष्ट कारण दर्शाया गया था । अत: अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील समयावधि में थी, जिसे समयबाधित मानने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 47 के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 45 दिन की है, आदेश दिनांक 30-3-17 को पारित किया गया होने से, प्रावधान अनुसार अपील प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 14-5-17 तक की थी, नकल प्राप्ति का आवेदन पत्र दिनांक 12-5-17 को प्रस्तुत किया गया था और आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 1-12-17 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 2-12-17 को शनिवार एवं दिनांक 3-12-17 को रविवार का अवकाश होने के कारण दिनांक 4-12-17 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि नकल प्राप्ति में व्यतीत समय कम करने पर द्वितीय अपील समयावधि में प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी, जिस पर कोई विचार नहीं कर अपील समय बाह्य मानने में अपर आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर, निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिलिपि शाखा से प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 31.05.2017 को तैयार होने का पृष्ठांकन है तथा लोक सेवा केन्द्र के पृष्ठांकन में काटपीट भी की गई है। आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में समयसीमा में छूट का कोई आवेदन भी उनके समक्ष प्रस्तुत नही किया गया, जबकि अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील स्पष्टत: समयबाधित थी, जिसे समय बाह्य मानकर अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है। अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-2-18 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर